न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019 / 00245 दर्ज तिथिः– 17.07.2019

1. गोरीशंकर पुत्र भंवरिया उम्र 70 साल जाति माली निवासी ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. बुद्धालाल पुत्र भंवरिया उम्र 60 साल
2. भरताराम पुत्र बुद्धालाल उम्र 40 साल
3. जयराम पुत्र बुद्धालाल उम्र 35 साल
   समस्त निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री ख्यालीराम गुर्जर
प्रतिवादीगण :– श्री महेन्द्र शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः– 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकास्मा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 518 / 0.23 है0, 523 / 0.01 है0, 524 / 0.31 है0, 595 / 0.15 है0, 596 / 0.01 है0, 597 / 0.12 है0, 598 / 0.33 है0, 522 / 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अस[illegible] शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का [illegible] हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड [illegible]बंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य [illegible] में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश कर पूर्व में किये गये बँटवारे अनुसार व मौका कब्जानुसार तकासमा करने का निवेदन किया। प्रकरण मे वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेंः–

   1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।
   ....उभय पक्षकारान

   2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
   ....उभय पक्षकारान

   3. अन्य दादरसी।
   ....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 10.03.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा संख्या 523 में प्रार्थी को कुएँ पर आने–जाने हेतु का रास्ता दिया जावे एवं खसरा संख्या 522 में भूमि सुधार कर कृषि कार्य हेतु टीनशेड एवं पत्थर व अन्य सामान पडा हुआ है एवं पाईप लाईन दबी हुई है उसको निकालने की अनुमति प्रदान की जावे तथा खसरा संख्या 518 में तार हटाने की अनुमति प्रदान करें। उक्त ऐतराज के सम्बन्ध में पक्षकारान ने राजीनामा दिनांक 13.06.2023 प्रस्तुत कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किये जाने बाबत् सहमति दी। पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 13.06.2023 के बिन्दु निम्न प्रकार है–

- मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट संयुक्त आराजी के विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के मध्य सहमति है।
- हाल खसरा संख्या 596/0.01 है0 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी बुद्धाला[illegible] खसरा पर गैर मुमकिन चाह मौके पर अब नहीं है [illegible]
- हाल [illegible] संख्या 523[illegible].01 है0 गैर मुमकिन चाह वादी गौरीशंकर का है। उक्त [illegible] पर [illegible]र मुमकिन चाह मौके पर सूखा है। अतः उक्त कु[illegible] की जन–धन की हानि को मद्देनजर रखते हुए वादी गौरीशंकर अपने निजी खर्चे पर भरवायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

- हाल खसरा संख्या 523 / 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह में उभय पक्षकारान का एक पुराना इंजन की कीमत आपसी सहमति से 12000 रूपये तय की। इस इंजन का प्रतिवादी बुद्धालाल द्वारा वादी गौरीशंकर को आधे हिस्से के 6000 रूपये आज अदा कर दिये है। इस प्रकार उक्त इंजन को प्रतिवादी बुद्धालाल द्वारा कुएँ से हटाकर अपने स्वामित्व व कब्जे में ले लिया है।

5. वादी व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 518 / 0.23 है0, 523 / 0.01 है0, 524 / 0.31 है0, 595 / 0.15 है0, 596 / 0.01 है0, 597 / 0.12 है0, 598 / 0.33 है0, 522 / 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 1 / 2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–01 का 1 / 2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

6. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 518/0.23 है0, 523/0.01 है0, 524/0.31 है0, 595/0.15 है0, 596/0.01 है0, 597/0.12 है0, 598/0.33 है0, 522/0.18 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
गौरीशंकर पुत्र भंवरिया	पूर्ण	518	0.23 है0	चाही प्रथम
		523	0.01 है0	गै0 मु0 चाह
		522	0.18 है0	बारानी उत्तम
		524/1	0.25 है0	चाही प्रथम
किता 04 रकबा 0.67 है0				
बुद्धालाल पुत्र भंवरिया	पूर्ण	524/2	0.06 है0	चाही प्रथम
		595	0.15 है0	चाही प्रथम
		596	0.01 है0	चाही प्रथम
		597	0.12 है0	चाही प्रथम
		598	0.33 है0	चाही प्रथम
किता 05 रकबा 0.67 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करे अथवा शक्ल [illegible] आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019 / 00245 दर्ज तिथिः– 17.07.2019

1. गोरीशंकर पुत्र भंवरिया उम्र 70 साल जाति माली निवासी ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. बुद्धालाल पुत्र भंवरिया उम्र 60 साल
2. भरताराम पुत्र बुद्धालाल उम्र 40 साल
3. जयराम पुत्र बुद्धालाल उम्र 35 साल

समस्त निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री ख्यालीराम गुर्जर
प्रतिवादीगण :– श्री महेन्द्र शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

<u>–:पर्चा डिक्रीः–</u>

निर्णय तिथिः– 27.06.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 518 / 0.23 है0, 523 / 0.01 है0, 524 / 0.31 है0, 595 / 0.15 है0, 596 / 0.01 है0, 597 / 0.12 है0, 598 / 0.33 है0, 522 / 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
गौरीशंकर पुत्र भंवरिया	पूर्ण	518	0.23 है0	चाही प्रथम
		523	0.01 है0	गै0 मु0 चाह
		522	0.18 है0	बारानी उत्तम
		524/1	0.25 है0	चाही प्रथम
किता 04 रकबा 0.67 है0				
बुद्धालाल पुत्र भंवरिया	पूर्ण	524/2	0.06 है0	चाही प्रथम
		595	0.15 है0	चाही प्रथम
		596	0.01 है0	चाही प्रथम
		597	0.12 है0	चाही प्रथम
		598	0.33 है0	चाही प्रथम
किता 05 रकबा 0.67 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनायी गयी।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested